जी.एस. सिंहवी और एम.एम. कुमार, जेजे

शम लाल शर्मा, -पुटिशनर

बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, -वाद

C.W.P .. नं। 7305 का 2002

22 नवंबर, 2001

भारत का संविधान, 1950-आर्ट्स। 39-ए और 226-कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987-चैप्टर VI, एसएस। 19 से 22-पीटिशनर ने अपनी सेवा के बकाया भुगतान के देरी से भुगतान करने में ब्याज का दावा करते हुए एक रिट याचिका दायर की और रिटायरल लाभ-केस को लोक एडलात-पक्षों को संदर्भित किया गया, जो एक निपटान/समझौता करने में विफल रहा/समझौता-लोक एडलत, हालांकि, इस मामले का निर्णय लेते हुए, इस मामले को तय करना योग्यता पर, चाहे लोक एडलैट्स नियमित अदालतों की भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं और मामलों को तय कर सकते हैं कि डी हॉर्स समझौता या निपटान-कब्जा कर सकते हैं, लोक एडलैट के नो-ऑर्डर को अलग-अलग सेट करने के लिए-लोकलिक के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को लोकल के अधिकारियों के मामलों को दूर करने के लिए मामलों को दूर करने के लिए। - महत्वाकांक्षी और गुंजाइश, कहा।

आयोजित, कि निर्वाचन और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रासंगिक प्रावधानों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि

क्षेत्रीय क्षेत्र और कानून के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामलों को तय करने के लिए विशेष रूप से नियमित अदालतों में निहित है। लोक एडलैट्स ने समझौता या निपटान के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान में अदालतों की सहायता करके महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाई। हालांकि, वे नियमित अदालतों की भूमिका को मानते हैं और मामलों को डे हॉर्स समझौता और निपटान का फैसला करते हैं। **1987** अधिनियम की धारा **22** के तहत लोक एडलैट्स को प्रदान की गई शक्तियां समझौता या निपटान के माध्यम से मामलों के निपटान की मुख्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन उन मामलों को तय करने के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है जिनमें पार्टियां आने में विफल रही हैं एक समझौता या समझौता।

(पैरा **7)**

हर्ष अग्रवाल, याचिकाकर्ता के लिए वकील।

सूर्य कांत, अधिवक्ता जनरल, हरियाणा के साथ। रितु बहरी, डिप्टी एडवोकेट-जनरल, हरियाणा।

एच.एस. मैटवाल, अधिवक्ता जनरल, पंजाब के साथ एच.एस. सिद्धू, उत्तरदाताओं के लिए उप अधिवक्ता-जनरल, पंजाब।

प्रलय

जी.एस. सिंहवी, जे

(1) क्या कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, **1987 (**संक्षेप में, **1987** अधिनियम के लिए) के अध्याय **VI** के तहत आयोजित लोक अदालत

के पास मामलों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है अन्यथा निपटान या समझौता के माध्यम से अन्यथा वह प्रश्न है जो इसमें निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है। **14** जनवरी, **2000** को उच्च न्यायालय में स्थायी लोक एडलत (**1)** के कामकाज द्वारा पारित आदेश के लिए श्री शम लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका दायर की गई।

(२) संक्षेप में कहा गया है, मामले के तथ्य यह है कि **31** मई, **1988** को उप श्रम आयुक्त, हरियाणा के रूप में सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.पी। दायर किया। उत्तरदाताओं को सेवा के विलंबित भुगतान और पुनर्विचार लाभ पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करने के लिए **1995** का नंबर **5296**। इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा **19** दिसंबर, **1995** को इसी राज्य सरकार के निर्देशों के

अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए एक निर्देशन के साथ इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया गया था ।

कुछ समय बाद, याचिकाकर्ता ने शिकायत के साथ एक अवमानना याचिका दायर की कि अदालत द्वारा दी गई दिशा का अनुपालन नहीं किया गया था। वही **C.O.C.P. 1997** का नंबर **332.** अवमानना याचिका की पेंडेंसी के दौरान, उत्तरदाताओं ने रुपये की राशि का भुगतान किया। ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज की ओर याचिकाकर्ता को **5,813.00**। इस पर ध्यान देने के बाद, सीखा एकल न्यायाधीश ने **26** मई, **1997** को याचिकाकर्ता के लिए स्वतंत्रता के साथ अवमानना याचिका का निपटान किया, ताकि अन्य वस्तुओं पर रुचि का दावा करने के लिए और अधिक उपाय किया जा सके। इसके बाद, उन्होंने **C.W.P** दायर किया। **1999** के नंबर **2753** ने बकाया राशि के देरी से भुगतान पर **18%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा किया। वही उच्च न्यायालय के लोक अदलत (**i)** के लिए संदर्भित किया गया था। पार्टियां समझौता करने के माध्यम से लोक अदलत के समक्ष मामले को निपटाने के लिए सहमत नहीं थीं। इसके बावजूद, लोक एडलात (**1)** ने **14** जनवरी, **2000** को रिट याचिका का निपटान किया, जो **12%**की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी की दिशा के साथ था। लोक एडलत द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक अर्क के तहत पढ़ता है:-

"हमें लगता है कि यह एक फिट मामला है जहां निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाने चाहिए और यह न्याय के छोरों को पूरा करेगा:-

(i) याचिकाकर्ता रुपये के वेतन के बकाया राशि की राशि के विलंबित भुगतान पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं है। **8,6757.00** इसलिए याचिकाकर्ता को उस खाते पर किसी भी इंटरट के लिए उलझाया नहीं गया है।
(ii) उत्तरदाताओं का भुगतान **@ 12% p.a.** रु। **32096.00 1** दिसंबर, **1988** से **12** अक्टूबर, **1991** तक प्रभाव के साथ अर्जित अवकाश के अपारदर्शी के संबंध में जब भुगतान वास्तव में किया गया था। इसी तरह उत्तरदाताओं ने ग्रे ग्रेच्युटी की राशि पर उसी दर पर ब्याज का भुगतान किया। **1** दिसंबर, **1988** से **5,6100.00** अप्रैल, **1992** के महीने में वास्तविक भुगतान की तारीख तक आज से तीन महीने की अवधि के भीतर। ग्रेच्युटी की राशि पर पहले से भुगतान किए गए किसी भी ब्याज को गणना की गई ब्याज से बाहर काट दिया जाएगा **@ 12%** पी.ए. जैसा कि भुगतान करने से पहले ऊपर बताया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि कई मामलों में जो हम आज तक बस गए हैं, हम सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए रिटायरल लाभ पर कोई रुचि नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि छह महीने की अवधि काफी उचित है सरकार को मंजूरी देने में सक्षम बनाएं और रिटायरल लाभों का भुगतान करें और हम 12% ब्याज की अनुमति दे रहे हैं यदि इससे परे की अवधि के लिए छह महीने से परे देरी हो, तो हम वेतन के बकाया राशि की राशि पर किसी भी ब्याज की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह है किसी भी बसे हुए मिसाल से कवर नहीं किया गया है और हमने यहां भी एक ही प्रिंसिपल का पालन किया है। "

(३) याचिकाकर्ता ने लोक एडलत द्वारा इस आधार पर पारित आदेश को चुनौती दी है कि इस मामले को इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए यह तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है कि पार्टियों ने एक समझौता नहीं किया था या याचिकाकर्ता के दावे पर इस मामले से समझौता किया था। प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज।

(४) श्री हर्ष अग्रवाल ने रिट याचिका में किए गए औसत को यह दिखाने के लिए संदर्भित किया कि याचिकाकर्ता ने सेवाओं के बकाया के साथ -साथ रिटायरल लाभों पर प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज का दावा किया था। उन्होंने कहा कि उनके ग्राहक ने कभी भी कुछ बकाया राशि के देरी से भुगतान करने के कारण 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान को स्वीकार करके मामले को निपटाने के लिए सहमति नहीं दी थी और, वहाँ, लोक अदलाट के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज के भुगतान को निर्देशित करके मामले को निपटाने के लिए और वह भी केवल कुछ मात्राओं पर को नियत तारीखों पर भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने धारा 19 (5) और 20 (3), (4, (5) और (6) के प्रावधानों का उल्लेख किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदलाट के पास मामले के निपटान के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं था योग्यता पर, क्योंकि इसमें सीमित शक्ति निहित है, यह समझौता या निपटान के संदर्भ में मामलों को निर्धारित करना और तय करना है और उनके ग्राहक ने प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज स्वीकार करने के लिए सहमति नहीं दी थी और वह भी एक अवधि के लिए सीमित राशि पर उसके द्वारा दावा किए गए व्यक्ति की तुलना में कम। उन्होंने आगे तर्क दिया कि लिकलत नियमित अदालतों की भूमिका नहीं मान सकते हैं और योग्यता पर मामले को तय कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना के विध्वंसक होगा।

(५) श्री एच.एस. मैटवाल, अधिवक्ता जनरल, पंजाब और श्री सूर्य कांट, अधिवक्ता जनरल, हरियाणा, जिनसे हमने अदालत से अनुरोध किया था कि वे याचिकाकर्ता के मुद्दे के महत्व को देख रहे हैं

ने याचिकाकर्ता के लिए वकील का समर्थन किया और तर्क दिया कि 1987 के अधिनियम के अध्याय VI के तहत आयोजित लोक एडलैट्स के पास उन मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जो उन्हें योग्यता पर संदर्भित करते हैं और उनमें निहित एकमात्र शक्ति निर्धारित करने और पहुंचने के लिए है। विवाद के लिए पार्टियों के बीच एक समझौता या निपटान पर। श्री मट्टेवाल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भावनगर बनाम मिस नरेंद्र प्लास्टिक, भवनगर और अन्य, (1) में गुजरात उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच निर्णय का भी उल्लेख किया।

(६) हमने पूरे मामले को गंभीर विचार दिया है। कोई संदेह नहीं है कि 1987 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले आयोजित किए जा रहे लोक अदालत ने विवाद और निपटान के तंत्र के माध्यम से तय किए गए विवादों और मामलों को प्राप्त करके समाज के लिए महान सेवा की थी। 1987 के अधिनियम के तहत गठित कानूनी सेवा अधिकारियों और समितियों के तत्वावधान में आयोजित लोक एडलैट्स ने भी सराहनीय काम किया है। हालांकि सोसाइटी को योमन सेवा प्रदान करने के बहाने, लोक एडलैट्स नियमित अदालतों की भूमिका नहीं मान सकते हैं और मामलों को डी हॉर्स कॉम्प्रिम्स या बस्ती का फैसला कर सकते हैं। हमारे संविधान के तहत परिकल्पित न्याय की प्रणाली में अदालतों के पदानुक्रम यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट वैरियस प्रकार के मामलों को तय करने के लिए मूल, अनन्य, अपीलीय और विशेष अधिकार क्षेत्र का अभ्यास करता है। इसी तरह, उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के मामलों को स्थगित करने के लिए मूल, अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हैं। घास-रूट स्तर पर, यह अधिकार क्षेत्र अधीनस्थ अदालतों में निहित है। अनुच्छेद 39-ए, जो संविधान के अध्याय-आईवी में जगह पाता है, राज्य में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और उपयुक्त कानून या योजना या अन्यथा द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है न्याय की तलाश का अवसर आर्थिक या अन्य विकलांगता के कारण से इनकार नहीं किया जाता है। यह इस लेख के तहत था कि राज्यों ने जनता के बीच कानूनी शिक्षण फैलाने के लिए कानूनी सहायता बोर्डों/ अधिकारियों का गठन किया था और समझौते या समझौते द्वारा विवादों के निपटान के लिए लोक एडलैट्स का आयोजन किया था। इन निकायों पर वैधानिक स्थिति प्रदान

(१) AIR १ ९९ १ गुजरात ६ 1991

करने के लिए, संसद ने 1987 अधिनियम को लागू किया। अध्याय V। जो कि लोक एडलैट्स से संबंधित है, में चार खंड होते हैं। धारा 19 इस अध्याय में पहला खंड है। उप-धारा (1) राज्य के अधिकारियों को सशक्त बनाता है या

जिला प्राधिकरण या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या उच्च कानूनी सेवा समिति के लिए लोक एडलैट्स का आयोजन करने के लिए। धारा 19 का उप-खंड (5) लोक एडलैट्स के अधिकार क्षेत्र के मापदंडों को देता है। यह घोषणा करता है कि एक लोक एडलात के पास यह निर्धारित करने और पार्टियों के बीच एक समझौता या निपटान में पहुंचने के लिए अधिकार क्षेत्र होगा (i) किसी भी मामले से पहले लंबित या (ii) किसी भी मामले में जो किसी भी मामले के अधिकार क्षेत्र में गिर रहा है , और पहले नहीं लाया गया है, कोई भी अदालत जिसके लिए लोक अदलत का आयोजन किया जाता है। इस उप-धारा के लिए प्रोविसो ने घोषणा की कि किसी भी कानून के तहत यौगिक नहीं होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले या मामले के संबंध में लोक अदलाट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। धारा 20 (1) (2) पार्टियों के समझौते पर या अन्यथा के समझौते पर लोक अदलाट को मामले के संदर्भ के लिए प्रदान करता है। धारा 20 (3) यह बताती है कि जहां किसी भी मामले को उप-भाग (1) के तहत एक लोक अदलाट को संदर्भित किया जाता है या जहां उप-धारा (2) के तहत इसका संदर्भ दिया गया है। या मामला और पार्टियों के बीच एक समझौता या निपटान पर पहुंचें। धारा 20 (5) यह प्रदान करता है कि जहां लोक अदलाट द्वारा इस आधार पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है कि पार्टियों के बीच कोई समझौता या निपटान नहीं किया जा सकता है, मामले का रिकॉर्ड इसे अदालत में वापस कर दिया जाएगा जहां से संदर्भ दिया गया है कानून के अनुसार निपटान के लिए उप-धारा (1) के तहत प्राप्त किया गया। धारा 21 (1) ने घोषणा की कि लोक अदलत के प्रत्येक पुरस्कार को एक नागरिक अदालत का डिक्री माना जाएगा या जैसा कि मामला हो सकता है, किसी अन्य अदालत का एक आदेश या जहां एक समझौता या निपटान किया गया है लोक अदलत एक मामले में इसे उप-धारा (1) के तहत संदर्भित एक मामले में, इस तरह के मामले में भुगतान किए गए अदालत-शुल्क को अदालत की फीस अधिनियम, 1870 के तहत प्रदान किए गए मनेर में वापस कर दिया जाएगा। धारा 21 (2) पर ध्यान केंद्रित करना लोक एडलत द्वारा किया गया पुरस्कार और यह बताता है कि कोई भी अपील पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में झूठ नहीं होगी। धारा 22 (1) यह बताती है कि 1987 अधिनियम के तहत किसी भी निर्धारण को रखने के प्रयोजनों के लिए लोक अदलत, वही शक्तियां हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित हैं, 1908 के संबंध में एक सूट की कोशिश करते हुए क्लॉस (ए) से (ई) में गणना की गई

मामले में। धारा 22 (2) यह बताती है कि उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्ति के अलावा, प्रत्येक लोक एडलैट के पास किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए अपेक्षित शक्तियां होंगी।

(7) के प्रासंगिक प्रावधानों का उपरोक्त सर्वेक्षण संविधान और 1987 अधिनियम से पता चलता है कि अधिकार क्षेत्र और शक्ति तथ्य और कानून के मुद्दों पर स्थगित करके मामलों का फैसला करना

विशेष रूप से नियमित अदालतों में बनियान हैं। लोक एडलैट्स समझौते या निपटान के माध्यम से मामलों के शीघ्र निपटान में अदालतों की सहायता करके एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं। हालांकि, वे नियमित अदालतों की भूमिका नहीं मान सकते हैं और मामलों को डी हॉर्स समझौता और निपटान का फैसला कर सकते हैं। **1987** अधिनियम की धारा **22** के तहत लोक एडलैट्स को प्रदान की गई शक्तियां समझौता या निपटान के माध्यम से मामले के निपटान के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन उन मामलों को तय करने के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिनमें पार्टियां आने में विफल रही हैं एक समझौता या समझौता।

(8) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, भावनगर बनाम मेसर्स। गुजरात उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच नरेंद्र प्लास्टिक, भावनगर और अन्य (सुप्रा) ने **1987** के अधिनियम की धारा **19** के दायरे पर विचार किया और यह माना कि लोक अदलत पार्टियों के बीच समझौता करने के अलावा किसी मामले को तय नहीं कर सकते हैं।

(9) यदि चुनौती के तहत आदेश को उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में माना जाता है, तो हमें याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं पाई जाती है कि लोक अदलात के पास रिट याचिका को निपटाने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं था। प्रति वर्ष **12%** की दर क्योंकि वह उक्त दर पर ब्याज स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं था या उत्तरदाताओं के साथ एक समझौता या निपटान में प्रवेश किया था।

(१०) निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह देखना उचित मानते हैं कि हमारे द्वारा लोक एडलैट्स के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे पर लिया गया दृश्य उनके कामकाज पर एक प्रतिबिंब के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि पहले से ही ऊपर उल्लेख किया गया है, सराहनीय है। न्याय और समाज और यह आदेश के प्रशासन की प्रणाली के लिए सेवाएं केवल विवादास्पद मुद्दों पर निर्णयों से बचने में उनकी मदद करेगी, जो विवाद को हल करने के बजाय, आगे मुकदमेबाजी का नेतृत्व कर सकती है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।

(११) ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति है। **14** जनवरी, **2000** को लोक एडलत द्वारा पारित आदेश को अवैध घोषित किया गया और सी। डब्ल्यू.पी। **1999** के नंबर **2753** को अब माननीय द मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद उपयुक्त बेंच से पहले सूचीबद्ध किया जा सकता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा